

कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

कचहरी रोड, राँची, पिन — 834001 e-mail:- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :-

दिनांक :- 09 -09-2023

कार्यालय आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा, उपधारा, खण्ड, परंतुक या किसी अन्य उपबन्धों का उल्लंघन करने या किसी अन्य उपबन्धों के अधीन विधिपूर्वक दिए गए किसी आदेश के अनुपालन में चुक होने पर इस अधिनियम द्वारा निर्धारित शास्ति अथवा जुर्माना अधिरोपित करने एवं वसूली करने हेतु झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 33- 3(ख) "नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, आदेश द्वारा, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन अपनी किन्हीं शक्तियों और कार्यों को नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी को प्रत्यायोजित कर सेकगा," के तहत् प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए :--

- (1) श्री कुँवर सिंह पाहन, अपर प्रशासक,
- (2) श्री रजनीश कुमार, उप प्रशासक,
- (3) श्री ज्योति कुमार सिंह, सहायक प्रशासक,
- (4) श्रीमती शीतल कुमारी, सहायक प्रशासक,
- (5) श्री सूरज प्रकाश सिंह चौधरी, सहायक प्रशासक,
- (6) श्री निकेश कुमार, सहायक प्रशासक,
- (7) श्री चन्द्रदीप कुमार, सहायक प्रशासक,
- (8) मुकेश कुमार रंजन, सहायक प्रशासक
- (9) सुश्री निहारिका तिर्की सहायक प्रशासक

को शक्ति प्रत्यायोजित किया जाता है।

उपरोक्त पदाधिकारी झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा शुल्क नियमावली 2016 में वर्णित शास्ति अधिरोपन के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अनुलग्नकः— यथोक्त।

प्रशासके, राँची नगर निगम, राँची।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड राज्य में ठोस अपशिष्टट प्रबंधन के लिए सेवा शुल्क नियमावली 2016 के तहत् वर्णित शास्ति के प्रावधान सहित सूची संलग्न।



क्र0 सं0	झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम विभिन्न धाराओं के उल्लंघन	झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा	दण्ड
1	यदि किसी व्यक्ति द्वारा निगम बिना विज्ञापन टैक्स दिए किसी तरह का विज्ञापन लगाया/रखा/प्रदर्शित किया जाता है तब विज्ञापन दर के पाँच गुना तक दण्ड लिया जा सकता है।	धारा 602	विधिपूर्वक देय टैक्स का कम-से-कम 2 गुणा अधिकतम 5 गुणा तक
2	किसी भी सरकारी कार्य हेतु किए गए रेखांकन को, गड़े खम्भें या खूंटी या बल्ला को उखाड़ने या हटाने या विकृत करने या नष्ट करता है।	धारा 245	रू० 1,000/-
3	कोई व्यक्ति जो बिक्री के लिए नगरपालिका द्वारा नियत स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पषुओं का वध करता है या बिना अनुज्ञप्ति के मांस, मछली, कुक्कुट का बिक्री करता है।	धारा 310	रू० 2,000/-
4	यदि कोई व्यक्ति निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त या कार्य0 पदा0 के पूर्वानुमित के बिना किसी पिरसर या उपयोग खानपान गृह, चाय या कॉफी दुकान, रेस्टोरेन्ट, भोजन कक्ष, मानव खाद्य या पेय पदार्थ के किसी सामग्री को व्यापार के प्रयोजनार्थ तैयार करने अथवा बिक्री करने या होटल या वासा के रूप में उपयोग करता है।	धारा 317	क्त0 2,000/- एवं क्त0 50/- प्रतिदिन अवज्ञा के लिए
5	यदि कोई व्यक्ति नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के पुर्वानुमित के बिना किसी परिसर का उपयोग दूध देनेवाले पशुओं की शाला के रूप में अथवा दुधारू पशु तथा मानव खाद्य के लिए अभिप्रेत पशुओं के अतिरिक्त घोड़ा, ऊँट, गधा आदि के रखने के लिए करता है।	धारा 319	क्त0 2,000/- एवं अवज्ञा पर रू0 50/- प्रतिदिन
6	किसी भवन, स्मारक, खम्भा, दीवाल, चहारदिवारी वृक्ष अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान पर कोई इष्तेहार सूचना या अन्य दस्तावेज चिपकायेगा या उन पर कुछ लिखेगा या कोई निशान बनायेगा।	धारा 346	रू 0 5,000/- तक
7	कोई व्यक्ति नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी से प्राप्त अनुज्ञप्ति के बिना अथवा उसके अनुरूप से अन्यथा मानव खाद्य के लिए आयायित व्यापार करनेवाला कसाई, मत्सय व्यापारी कुक्कुटवाला, माँस आयातकर्ता का व्यापार करता है या बिक्री हेतु किसी स्थान का उपयोग करता है।	धारा 465	रू० 2,000/- एवं अवज्ञा पर रू० 50/- प्रतिदिन
8	जब धारा 455 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए या अस्तबल या पशुषाला या गौषाला के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किसी परिसर का उपयोग किया जाता है।	धारा 603	₹10 5,000/- तक
9	यदि कोई व्यक्ति नगर आयुक्त या कार्य0 पदा0 की लिखित पूर्वानुमति के बिना डीप बोरिंग (6"/8") खोदेगा या बनवायेगा।	धारा 209 के अन्तर्गत निर्गत कार्यालय आदेश	रू० 1,00,000/- रिग मशीन मालिक/ऑपरेटर एवं रू० 25,000/- गृहस्वामी



	To bear 11		
10	यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका के या उसके नियंत्रण के किसी जल संकर्म / जलस्त्रोतों या निदयों जहाँ से ऐसा जल आपूर्ति होता है, अवैध रूप से जल प्लावित करता है या निकालता है या दिषान्तरिंत करता है या जल की बरबादी करता है या सेवा नल या आपूर्ति नल से मोटर लगाकर जल निकासी करता है।		रू० 10,000/- तक
11	नगरपालिका से संबंधित ताले, कॉक, वॉल्ब पाईप, मीटर या अन्य कार्य या उपकरण को जानबूझकर या लापरवाही से तोड़ता है या क्षतिग्रस्त करता है या बिना अनुमति खोलता है या बंद करता है या कोई हस्तक्षेप करता है।		क्त0 1,000/-
12	जलापूर्ति संकर्म में जल लेने के लिए अविधिक ढंग से जल की धारा से बाधा उत्पन्न करता है या दिषा परिवर्तन करता है।	2.13	ক০ 1,000/-
13	किसी जल संकर्म में या उसके ऊपर स्नान करता है अथवा उसमें किसी पशु को धोता है या फेंकता है या कूड़ा करकट, गंदगी कचड़ा फेंकता है अथवा उसमें कोई वस्तु, कपड़ा, ऊन, पशु का चमड़ा धोता है अथवा किसी भी तरह से जल प्रदूषित करता है।		₹0 1,000/-
14	यदि कोई व्यक्ति जान-बुझकर या उपेक्षा से किसी मीटर (जल) को क्षति पहुँचाता है।	धारा 246	₹0 10,000/-
15	नगरपालिका के मल जल के प्रवाह या प्रक्षालन में गैरकानूनी ढंग से बाधा डालता है या दिषा परिवर्तन करता है।	धारा 245	₹0 1,000/-
16	नगरपालिका के विधुत संचार मार्ग को भंग या क्षतिग्रस्त करता है।	धारा 245	ক০ 1,000/-
17	यदि कोई व्यक्ति जानबुझकर या लापरवाही या दुर्घटनावष नगरपालिका में निहित किसी मार्ग बत्ती या नगरपालिका में निहित कोई सम्पत्ति को तोड़ता है या क्षतिग्रस्त करता है।	धारा 306	अवज्ञा की दशा में रू० 100/- प्रतिदिन अधिकतम रू० 5,000/- तक
18	नगरपालिका के नाली या मोरी में प्लास्टिक के थैले एवं डिब्बे सहित कोई पदार्थ अथवा डेयरी, खोबार और मुर्गीखाना के अपिषष्ट को फेंकता है।	धारा 245	₹0 1,000/-
19	नगरीय ठोस अपिषष्ट प्रबंधन के लिए निर्धारित रिति के उल्लंघन के लिए दण्ड	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत	
(i)	आवासीय भवनों के लिए।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत	₹50 100/-
(ii)	दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत	₹0 1000/-
एक कदम स्वच्छता की ओर			



(iii) रेस्तरीय मालिकों को खुला में कचरा डालने पर। (iv) होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर। (iv) होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर। (v) ओचोंगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर। (v) ओचोंगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर। (vi) हलवाई चाट, फास्ट पुड, आईस्क्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस, सब्जी एवं फुट आदि ठेला व्यवसायियों पर। (vi) सार्वजनिक स्थान पर पेशाव करनेवालों पर। (vii) सार्वजनिक स्थान पर पेशाव करनेवालों पर। (viii) गोवर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर (viii) गोवर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर (viii) गोवर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर (viii) निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलवा, निर्माण सामग्री, ईट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर। (x) निजी ट्वटरों द्वारा वजरी, कचरा, मलवा, गोवर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड्कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गन्दगी फैलाने पर। (x) निजी ट्वटरों द्वारा वजरी, कचरा, मलवा, गोवर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड्कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गन्दगी फैलाने पर। (x) सरकारी मवनों, चीराहों एवं शहरी चहारदीवारी की तीवाने एवं उनके गेटों पर निजी वाणिय्वक प्रचार-प्रमार हेंचु पोस्टर विपकाने, रलोगन तिखकर सेवान सेवाशुक्क नियमावती2016 के अन्तर्गत		of the test to		
(v) औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर। (vi) डेलवाई, चाट, फास्ट फूड, आईस्क्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस, सब्जी एवं फुट आदि वेला व्यवसायियों पर। (vii) सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करनेवालों पर। (viii) गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुर्क नियमावती2016 के अत्यन्ति के अत्यन्ति (xi) निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोवर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गन्दगी फैलाने पर। (xi) सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चहारदीवारी की दीवारों एवं उनके गेटों पर निजी वाणिष्यक प्रधान्य नियमहरू नियमावती2016 के अत्यन्ति (xi) सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चहारदीवारी की दीवारों एवं उनके गेटों पर निजी वाणिष्यक प्रधान्य नियमहरू नियमविक्री 2016 के अत्यन्ति (xii) सरकारी भवनों, चौराहों एवं पर निजी वाणिष्यक प्रधान्य नियमहरू नियमविक्री 2016	(iii)	रेस्तंरा मालिकों को खुला में कचरा डालने पर।	राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016	₹50 2000/-
(vi) हलवाई, चाट, फास्ट फुड, आईस्क्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस, सब्जी एवं फुट आदि ठेला व्यवसायियों पर। अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत (vii) सार्वजिनक स्थान पर पेशाब करनेवालों पर। अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत (viii) गोबर सार्वजिनक स्थानों पर डालने पर अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत (viii) गोबर सार्वजिनक स्थानों पर डालने पर अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत (x) निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गन्दगी फैलाने पर। अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत (xi) सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चहारदीवारी की दीवारों एवं उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार—प्रसार हेतु पोस्टर विपकाने, स्लीगन लिखकर	(iv)	होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर।	राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016	रू० 2000/-
(vii) सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करनेवालों पर। अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत (viii) गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत (viii) गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत (ix) निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर। अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत (x) निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गन्दगी फैलाने पर। अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत (xi) सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चहारदीवारी की दीवारों एवं उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार—प्रसार हेतु पोस्टर चिप्पकाने, रलोगन लिखकर राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के स्वार्ण उस अपशिष्ट प्रवंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत को अन्तर्गत के अन्तर्गत को स्वार्ण उस अपशिष्ट प्रवंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत को स्वर्ण के अन्तर्गत को स्वर्ण के स्वर्ण	(v)	औधोगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर।	राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016	₹50 5000/-
(viii) गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर जध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत (ix) निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर। (x) निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गन्दगी फैलाने पर। (xi) सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चहारदीवारी की दीवारों एवं उनके गेटों पर निजी वाणिज्यक प्रचार—प्रसार हेतु पोस्टर विप्रकाने, स्लोगन लिखकर को कार्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत (xi) सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चहारदीवारी की दीवारों एवं उनके गेटों पर निजी वाणिज्यक प्रचार—प्रसार हेतु पोस्टर विप्रकाने, स्लोगन लिखकर	(vi)	एवं अन्य जूस, सब्जी एवं फुट आदि ठेला व्यवसायियों पर।	राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016	रू० 100/-
(ix) निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर। (x) निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गन्दगी फैलाने पर। (xi) सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चहारदीवारी की दीवारों एवं उनके गेटों पर निजी वाणिज्यक प्रचार—प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर	(vii)		राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016	रू० 100/-
निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर। (x) निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गन्दगी फैलाने पर। (xi) सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चहारदीवारी की दीवारों एवं उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार—प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर	(viii)	गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर	राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016	₹0 1000/-
इत्यदि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गन्दगी फैलाने पर। (xi) सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चहारदीवारी की दीवारों एवं उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार—प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर	(ix)	निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी	राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016	ক০ 1000/-
दीवारों एवं उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रचार—प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर अधिवासका नियासका न	(x)	इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों	राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016	₹৯০ 1000/-
सरकारा दावार, एतिहासिक भवना की सुन्दरता की कि अन्तर्गत खराब करने एवं बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से। प्रत्येक कृत्य पर।	(xi)	दीवारों एवं उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार—प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें, ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने एवं बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से। प्रत्येक	राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016	₹50 2000/-
(xii) बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर। अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत		· ·	राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016	₹5000/-
(xiii) अपने मकानों का गन्दें पानी का निकास आम सड़क पर करने पर। अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016	(xiii)		राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	জo 5000/ -

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर



	April 17		
		के अन्तर्गत	
(xiv)	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेक सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत	₹0 5000/-
(xv)	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसायियों द्वार अपने व्यवसाय स्थल का कचरा पात्र आवश्यक क्षमत का नहीं रखने पर।		ক০ 2000/-
(xvi)	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर एवं साईकिल रिपेयरिंग कर आयल मिट्टी एवं पानी फैलाकर गन्दगी करने पर।	राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत	रू० 1000/-
(xvii)	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गए जानवरों की हिड्याँ, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क/आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर।	राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत	रू० 2000/-
(xviii)	खाली, सरकारी जमीन पर आम रास्ता, सड़क एवं मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊँट, गधा, घोड़े, सुअर इत्यादि पालतु जानवरों से गन्दगी फैलाने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपिषट प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	₹0 500/-
(xix)	शादी / विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत	स्र0 5000/-
(xx)	आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस–मछली पकाने एवं अंष सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत	₹0 2000/-
(xxi)	सार्वजनिक स्थान, जमीन एवं सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके एवं अंष सड़क पर डालने एवं गन्दगी फैलाने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत	ক০ 100/-
(xxii)	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता एवं सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत	₹0 100/-
(xxiii)	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत	₩0 5000/-
	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016	₹0 5000/-





	To read in		
		के अन्तर्गत	
(xxv)	प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाना इत्यादि आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली2016 के अन्तर्गत	ক০ 2000/-
20	यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आदेष के तहत किसी नदी या झील, तालाब, कुण्ड, झरना, हौज, नलिका स्तम्भ नल, पर रनान या प्रक्षालन हेतु प्रतिबंधित किया गया हो और उसके उल्लंघन पर।	धारा 338	रू० 5,000/- तक
(i)	किसी पशु, वनस्पति अथवा खनिज जिससे जल स्त्रोत बदबूदार अथवा प्रदूषित होने की संभावना हो किसी तालाब, कुण्ड, नदी, आदि में धोने में प्रतिबंधित किया गया हो और उसके उल्लंघन पर।	धारा 338	रू० 5,000/- तक
(ii)	सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति को झील, तालाब, कुण्ड, झरना, हौज, नदी या कुँआ में स्नान करने प्रतिबंधित किया गया हो और उसके उल्लंघन पर।	धारा 338	रू० 5,000/- तक
(iii)	किसी विनिर्माण या व्यापार से जल स्त्रोत, तालाब, झील, कुण्ड, नदी आदि से प्रदूषित होने पर।	धारा 338	रू० 5,000/- तक
(iv)	धोबियों को अपने पेषे के अनुसरण में सूचना द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो और उसके उल्लंघन पर।	धारा 338	रू० 5,000/- तक
21	सार्वजनिक स्थान को गंदा करेगा।	धारा 346	रू० 5,000/- तक
22	नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सूचना के माध्यम से किसी मार्ग से कोई कूड़ा—करकट, गंदगी या प्रदूषित एवं बदबूदार पदार्थ ले जाने की मनाही के बावजूद ले जाया जाता है।	धारा 346	रू० 5,000/- तक
23	किसी शव को ऐसे किसी स्थान पर जिसके प्रयोजनार्थ अनुज्ञा न दी गई हो पर गाड़ता है या जलाता है।	धारा 346	रू० 5,000/- तक
24	ध्वनि प्रदुषण नियत्रंण आदेष का उल्लंघन करता है।	धारा 346	रू० 5,000/- तक
25	वायु प्रदुषण नियत्रण आदेष का उल्लंघन करता है।	धारा 346	क्र0 5,000/- तक
26	यदि कोई व्यक्ति किसी मृत पशु के शव को निर्दिष्ट या चिन्हित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र निस्तारण करता है या निस्तारण संबंधी आदेष का उल्लंघन करता है तो	धारा 376	रू० 1,000/- तक
27	कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त या कार्य0 पदा0 की लिखित पूर्वानुमित के बिना किसी वृक्ष को काटेगाा या किसी भवन या उसके भाग को निर्मित करेगा न ढहायेगा अथवा न भवन के बाहरी भाग में परिवर्तन या मरम्मत करायेगा जहाँ ऐसा कार्य अवरोध खतरा या क्षोभ या मार्ग का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के लिए अवरोध जोखिम या नाराजगी पैदा करनेवाला हो।	धारा 337	रू० 5,000/- एवं अवज्ञा पर रू० 200/- प्रतिदिन

